न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 37/2019

1. श्रीमती विमला देवी पुत्री स्व. केदारमल सैन आयु 67 साल निवासी किशनगढ जिला अजमेर राज.।

प्रार्थिया

बनाम

1. गणपत लाल पुत्र केदारमल सैन उम्र बालिग निवासी किशनगढ जिला अजमेर राज0 व अन्य।

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णय दिनांक 12/2/25

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री गोविन्ददास पुरोहित द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से एक वाद पत्र श्रीमान के समक्ष विचाराधीन था, दिनांक 6/12/2017 11 को वादिया के आधवक्ता के एक दुर्घटना में चोटग्रस्त हो जाने से उनका बाँया पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था इस कारण वादिया के अधिवक्ता अपने ऑपरेशन तथा अति आवश्यक इलाज के चलते करीब 12 माह तक न्यायालय के कार्य संभालने में असमर्थ रहे जिसके कारण वादिया के अधिवक्ता प्रस्तुत प्रकरण में नियत दिनांक 11/2/2018 को न्यायालय मे अपने पक्षकार की पैरवी करने हेतु उपस्थित नहीं हो पाये तथा ना ही किसी अन्य अधिवक्ता को प्रतिनिधी पत्र दे पाये जिस कारण उक्त दिनांक 11/2/2018 को वादिया का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी ने न्यायालय श्रीमान द्वारा खारिज किया गया। शपथपत्र संलग्न है। वादिया के अधिवक्ता जब दिनांक 28/12/2018 को न्यायालय श्रीमान के समक्ष अन्य प्रकरण मे स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उपास्थित हुए तो उन्हें प्रस्तुतवाद के अदम पैरवी में दिनांक 11/2/2018 को खारिज होने की जानकारी हुई। वादिया के अधिवक्ता उक्त निजी कारण से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया जो उपस्थित नहीं होने का वास्तविक कारण है तथा क्षमा योग्य है। से अन्दर मियाद 30 दिन में पेश किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 11/9/18 को अपास्त किया जाकर प्रकरण संख्या 19/2009 को पुनः दर्ज किए जाने का आदेश न्याय हित में प्रदान कराने।

दिनांक 10.11.2020 को अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की ओर से वकील श्री पूर्वी बक्शी ने अन्डरटेकिंग ली तथा जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक्र 15.09.2021 को उनकी ओर से वकालतनामा पेश किया किन्तु दिनांक 03.02.2025 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण दिनांक 03.02.2025 को उनका जवाब बन्द कर दिया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसरण तथा न्यायहित में हमारे द्वारा वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर पूर्व आदेश दिनांक 11.09.2018 को अपास्त किया जाता है, प्रार्थना पत्र को मूल वाद पत्र संख्या 19/2009 में संलग्न किया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12/2/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निशा सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)